जिला सैक्टर योजना 2009–10
आयोजनागत पक्ष

संख्याः 223 /XV-1/10/ 1(15)/09

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, उधमसिंहनगर,
देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 04 फरवरी, 2010

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–सी–531/नि०/आय–व्ययक /2009–10 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में पशुपालन विभाग हेतु अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न विवरण के अनुसार योजनावार, जनपदवार, आहरण वितरण अधिकारीवार, मदवार कुल धनराशि **रूपया 4200 हजार (रूपया बयालीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) संलग्न विवरणानुसार निर्गत स्वीकृति को तत्काल मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्ट करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृति परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर लिया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) उक्त धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें स्वास्थ्य–02–अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–0201–जिला योजना (50 प्रतिशत के०स०) पशुचिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–515(1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या–38/XXVII(1)/2010 दिनांक 19 जनवरी, 2010 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–जनपदवार फांट

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 223 (1) /XV-1/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, पशुपालन उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली को उनके पत्र संख्या–सी–531/नि०/आय–व्ययक/2009–10 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड/उप कोषाधिकारी, चकराता, रानीखेत।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
10. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन०आई०सी० को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०के० पन्त)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 223 (2)/XV-1/10/1(15)/2009 दिनांक 04 फरवरी, 2010 का संलग्नक।

पशुपालन विभाग की आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या–30 (जिला सैक्टर चालू योजनाओं) के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु अतिरिक्त वित्तीय फॉट

(धनराशि हजार रू० में)

| योजना का विवरण | जनपदवार /आहरण वितरण अधिकारी वार फॉट | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नैनीताल | उधमसिंहनगर | अल्मोड़ा | रानीखेत | बागेश्वर | पिथौरागढ़ | चम्पावत | देहरादून | चकराता | पौड़ी | टिहरी | चमोली | रूद्रप्रयाग | उत्तरकाशी | हरिद्वार | योग उत्तराखण्ड |
| अनुदान संख्या–30–2403–पशुपालन–00– | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101–पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें स्वास्थ्य | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02–अनु.जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201–(जिला योजना)(50%के.स.) पशु चिकित्सा हेत दवा वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15–मोटर गाड़ी अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद | 55 | 40 | 55 | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 55 | 650 |
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 71 | 83 | 93 | 0 | 50 | 57 | 23 | 42 | 0 | 69 | 80 | 57 | 49 | 48 | 31 | 753 |
| 31–सामग्री सम्पूर्ति | 35 | 69 | 89 | 0 | 27 | 35 | 13 | 41 | 0 | 104 | 55 | 28 | 20 | 28 | 28 | 572 |
| 39–औषधि तथा रसायन | 233 | 179 | 150 | 0 | 152 | 90 | 25 | 74 | 0 | 64 | 424 | 109 | 94 | 94 | 129 | 1817 |
| 42–अन्य व्यय | 80 | 16 | 54 | 0 | 6 | 30 | 21 | 83 | 0 | 31 | 33 | 8 | 0 | 30 | 16 | 408 |
| योग | **474** | **387** | **441** | **0** | **285** | **262** | **137** | **290** | **0** | **318** | **642** | **242** | **213** | **250** | **259** | **4200** |

(एस०के० पन्त)
अनु सचिव